भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1507

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

1507. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:**
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में विशेषकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र में विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विशेषकर बीड और वाशिम, यवतमाल लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लाभार्थियों की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं की दक्षता और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार को किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें निधियों के संवितरण में विलंब, अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंच से संबंधित मुद्दे शामिल हैं;
(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की प्रभावकारिता को मापने के लिए कोई मूल्यांकन या प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है; और
(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते

हुए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) सहित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सरकार ने जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रूसा का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसमें आरयूएसए के पहले चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां शामिल हैं, ताकि शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पीएम-उषा के तहत, महाराष्ट्र राज्य में कुल 814.24 करोड़ रुपये की राशि के लिए कुल 61 इकाइयों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें बीड, वाशिम और यवतमाल जिलों में 25 करोड़ रुपये की 4 इकाइयां शामिल हैं। पीएम-उषा के तहत महाराष्ट्र में अनुमोदित इकाइयों का जिलावार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक छात्रावासों, शैक्षिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं के निर्माण सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

पीएम-उषा के तहत, महाराष्ट्र राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में पीएफएमएस के एसएनएए-स्पर्श मॉडल को शामिल किया है। एसएनएए-स्पर्श मॉडल के तहत, धनराशि 'ठीक समय पर' जारी की जाती है, और विक्रेताओं और लाभार्थियों को पीएफएमएस पोर्टल पर बिल जमा करने के आधार पर दैनिक स्वीकृति रिलीज के माध्यम से सीधे भुगतान प्राप्त होते हैं।

इस योजना के तहत, पीएम-उषा को अगले चरण में जारी रखने के लिए, अगस्त 2025 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आयोजित किया गया था, जिसमें योजना को जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

****

'शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बजरंग मनोहर सोनवणे और श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1507 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-उषा के तहत महाराष्ट्र के जिलों को दी गई सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	जिले	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपये)
1	अहमदनगर	1	5.00
2	अकोला	2	10.00
3	अमरावती	3	30.00
4	औरंगाबाद	3	14.99
5	बीड	1	4.99
6	भंडारा	1	5.00
7	बुलढाना	1	4.98
8	चंद्रपुर	1	5.00
9	छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	1	100.00
10	धुले	1	5.00
11	गडचिरोली	3	114.98
12	गोंदिया	1	5.00
13	हिंगोली	1	5.00
14	जलगांव	2	25.00
15	जलना	2	10.00
16	कोल्हापुर	3	29.36
17	लातूर	2	9.77
18	मुंबई	4	145.00
19	मुंबई उपनगर	1	5.00
20	नागपुर	2	25.00
21	नांदेड़	4	35.00
22	नंदुरबार	2	12.78
23	नासिक	1	5.00
24	उस्मानाबाद	2	14.34
25	पालघर	1	5.00
26	परभनी	1	5.00
27	पुणे	1	5.00
28	रायगढ़	1	5.00

क्र. सं.	जिले	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	अनुमोदित कुल राशि (करोड़ रुपये)
29	रत्नागिरि	1	5.00
30	सांगली	1	5.00
31	सतारा	1	5.00
32	सिंधुदुर्ग	1	5.00
33	सोलापुर	3	110.00
34	ठाणे	1	5.00
35	वर्धा	1	5.00
36	वाशिम	2	15.00
37	यवतमाल	1	5.00
	कुल	**61**	806.18
	एमएमईआर		8.06
	कुल योग		**814.24**